अध्याय-3 बजटीय प्रबंधन



अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और पूरक अनुदान एवं सहगामी वित्तीय प्रबंधन सिहत आवंदित प्राथमिकताओं का आकलन करता है कि नीतिगत स्तर पर लिया गया निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान के अनुसार विनियोगों का विवरण तथा आवंदित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।


3.1 बजटीय प्रक्रिया

बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजिनक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी करने के साथ (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर में) शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल होता है। इसमें बजट अनुमान तैयार करने में एकरूपता हेतु नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया को नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय के भार के लिए अनिवार्य है। अलग-अलग सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय नियम बनाए हैं और वित्तीय शिक्तयों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान किया है जो व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं और विनियोग और पुनर्विनियोग पर प्रतिबंध के साथ ऐसे व्यय को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत स्तर हैं।

प्रक अनुदानों के अलावा, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के भीतर निधियों के पुनर्आवंटन के लिए भी किया जाता है। पुनर्विनियोजन अनुदान के एक ही खंड (राजस्व-दत्त, राजस्व-प्रभारित, पूंजी-दत्त, पूंजी-प्रभारित) या भारित विनियोग के भीतर किसी अन्य इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण है। बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।



चार्ट 3.1: बजट के अवयव

स्रोतः विनियोग लेखे

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह भारित किया जाता है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

दत्तमत/भारित में विभाजन सिहत कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	की प्रकृति कुल बजट संवितरण		संवितरण		निवल बच	ਜ (+)/
					आधिक्य	(-)
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	76,384.41	6,823.49	57,356.33	6,627.09	19,028.08	196.39
(ii) पूँजीगत	11,573.67	0	9,376.90	0	2,196.77	0
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अतर्राज्यीय समायोजन	2,444.49	4,360.13	1,462.98	4,247.08	981.51	113.05
कुल	90,402.57	11,183.62	68,196.21	10,874.17	22,206.36	309.44

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 53 दत्तमत अनुदानों एवं पांच विनियोगों में ₹ 19,513.33 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अधीन 35 अनुदानों एंव एक विनियोग में ₹ 3,291.33 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग एवं एक अनुदान (13-ब्याज भुगतान एवं 15-पेंशन) में ₹ 288.85 करोड़ का अत्यधिक व्यय ह्आ था।

आगे, यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान कुल बचत ₹ 22,515.81 करोड़ में से ₹ 15,903.22 करोड़ की बचत 10¹ अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, इन अनुदानों में विगत चार वर्षों के दौरान सतत कुल बचत ₹ 8,138.75 करोड़ से ₹ 14,685.90 करोड़ थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2022 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुन: आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के 2021-22 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षण से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तृत नहीं किए गए।

3.1.2 भारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2017-22) के दौरान भारित एवं दत्तमत में विभाजित कुल वितरणों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) (₹ 791.00 करोड़), 10-ऊर्जा विभाग (₹ 1,662.23 करोड़), 18-खाद्य, सार्वजिनक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 834.03 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,644.42 करोड़), 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 2,151.61 करोड़), 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) (₹ 2,456.54 करोड़), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य संभाग) (₹ 1,569.22 करोड़), 56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज संभाग) (₹ 1,863.38 करोड़), 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथिमक एवं प्रौढ़ शिक्षा संभाग) (₹ 1,668.57 करोड़) एवं 60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक स्रक्षा विभाग (₹ 1,262.22 करोड़)

तालिका 3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान भारित एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सं	वितरण	बचत (+)	/आधिक्य (-)
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2017-18	60,105.66	7,709.46	14,191.49	154.67
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप बहुत अधिक बचत हुई। यह भी देखा गया कि सिर्फ 2020-21 को छोड़कर विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान भारित अनुभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया और विभागों द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान की अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किए जाने वाले व्यय को भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोडकर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सिहत पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान मे नहीं लाया गया था।

'सेवा के नए साधन' का अर्थ मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार के कारण होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह उद्घाटित होता है कि तीन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत सात मामलों में व्यय बिना बजट प्रावधानों का किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 1,254.20 करोड़ था। विस्तृत विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारी विभाग (कृषि संभाग)	0.14	2
14-ऋण की पुर्नअदायगी	1,254.06	5
कुल	1,254.20	7

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

जैसा कि तालिका 3.3 से देखा जा सकता है, 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों के पुनर्भुगतान पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करने के समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भांति अवगत होंगे। हालाँकि राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए प्रयीप्त प्रावधान नहीं किये गये थे। अग्रतर, जल संसाधन विभाग में मुख्य शीर्ष 4701 के तहत-मध्यम सिंचाई पर किया गया पूँजीगत व्यय पर बहुत बड़ी राशि लघु शीर्ष 799 के अंतर्गत उचंत (सस्पेंस) विविध कार्य अग्रिम के रूप में ₹ 102.54 करोड़ का व्यय दिखाया गया है जो लेखा के अंतिम शीर्ष में अंतिम समायोजन के लिए लंबित है।

3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष-800 में जमा की गई राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। हालांकि, 2021-22 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि काफी घटकर ₹ 0.85 करोड़ हो गई तथा इस शीर्ष से संवितरण बढ़कर ₹ 121.72 करोड़ हो गया, जिससे वर्ष के अंत में ₹ 265.36 करोड़ शेष रह गया। इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित थी।

दिसम्बर 2019 में, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से, झारखण्ड सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा के लघु शीर्ष 106 - व्यक्तिगत जमा खाता के तहत संचालित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, 24 जिला कोषागारों में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. खाते खोले गए, लेकिन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पूर्व में जमा राशि को पी.डी. खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया।

3.2.3 अनावश्यक अन्प्रक अन्दान

बिहार बजट नियमावली (ब.नि.), झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत, के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावे, बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि **परिशिष्ट** 3.1 में दर्शाया गया है, ₹ 14,627 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ था।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

'पुनर्विनियोजन'- का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से 16 उप-शीर्षों में (परिशिष्ट 3.2) अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 419.75 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 472.47 करोड़ की बचत हुई।

3.2.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 22,516 करोड़ में से ₹ 21,122 करोड़ (93.81 प्रतिशत) की बचत 24 अनुदानों² में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक (परिशिष्ट 3.3) बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया नहीं गया।

इसके अलावे, 2021-22 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 14 अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था और विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गये थे। औचित्य के बिना भारी बचत जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिए गए है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 35 प्रतिशत से अधिक की बचत को तालिका 3.4 में दिया गया है।

(प्रतिशत में) वर्षों की <mark>ਕਤਟ 2021-22</mark> क्र. सं. अनुदान 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 संख्या* (₹ करोड़ में) राजस्व 1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता 23 3,306.55 46 53 65 4 विभाग (कृषि प्रभाग) 26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण 45 32 50 57 48 387.27 विभाग 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 9 25 65 65 73 2,625.68 3 3 42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण 40 33 36 30 32 2 7,606.54 विकास प्रभाग) 51- अनु.जा., अनु. जनजाति, पिछड़ा 42 30 46 35 1,663.03 वर्ग कल्याण विभाग 54- कृषि,पश्पालन एवं सहकारिता 43 55 76 47 46 181.40 विभाग (डेयरी प्रभाग) पूँजीगत 26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं 87 87 58 74.31 कौशल विकास विभाग 60- महिला, बाल विकास एवं 100 89 83 5 70.95 सामाजिक स्रक्षा विभाग

तालिका 3.4: बजट के 35 प्रतिशत से अधिक अनुपयोग वाले अनुदान/विनियोजन

ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उदेश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लिक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 60 के तहत बचत 83 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि पुनर्वास केंद्रों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों

71

^{*35} प्रतिशत से अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

² इनमे से, 23 अनुदान राजस्व से (₹ 18,649 करोड़), 7 पूँजीगत से (₹ 2,502 करोड़) और 6 दोनों से सम्बंधित हैं

आदि के निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई कारण बताए वापस कर दिया गया था।


3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अध्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 22,516 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 22,277 (99 प्रतिशत) की राशि मार्च 2022 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.2 में परिलक्षित है, 27 अनुदानों में बचत 10 से 30 प्रतिशत के बीच था जबिक 15 अनुदानों में बचत 30 से 50 प्रतिशत के बीच था। छह अनुदानों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक था। आगे, चार्ट 3.3 विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन और इसके उपयोग को दर्शाता है।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/ विनियोग को विनियमित किया जाये।

अनुदान/विनियोग से आधिक्य संवितरण संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो राज्य विधानमंडल द्वारा आधिक्य अनुदानों के विनियमित करने का प्रावधान देती है। अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और विधान मंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही स्निश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.2.7.1 2021-22 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधानों से आधिक्य व्यय न केवल अपेक्षित विधायी संस्वीकृत प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कमजोर नियोजन का सूचक भी है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट से व्यय की स्थिति पर नजर रखकर बचा जा सकता है। जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया वर्ष 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) में ₹ 98.89 करोड़ तथा एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 189.97 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

3.2.7.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अविधयों तक रही आधिक्य व्यय कार्यपालिका शक्ति पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती है। वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक 11 अनुदानों से संबंधित ₹ 3,473.63 करोड़ की राशि का अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.6 में वर्णित है।

2000-01 से 2020-21 के दौरान तीन अनुदानों/विनियोगों (13-ब्याज भुगतान, 14- ऋण का पुनर्भुगतान और 15- पेंशन) में ₹ 790.38 करोड़ (22.75 प्रतिशत), ₹ 967.57 करोड़ (27.85 प्रतिशत) और ₹ 1,541.58 करोड़ (44.38 प्रतिशत) से संबंधित कुल आधिक्य व्यय को अब तक विनियमित नहीं किया गया है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार सूचना देने के बाद भी विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जों एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

2021-22 के दौरान, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ₹ 5,358.62 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। हालांकि, राज्य के लेखों में ऐसा अनुदान पूँजीगत व्यय के रूप में इंद्राज नहीं किया गया।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट अनुमान एवं प्राक्कलन तथा वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं पर धन का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.5: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण
	राजस्व	68,949.44	7,434.97	76,384.41	57,356.33	19,028.08	
	पूँजीगत	9,661.27	1,912.40	11,573.67	9,376.90	2,196.77	
दत्तमत	ऋण एवं अग्रिम	1,571.59	872.90	2,444.49	1,462.98	981.51	
	कुल	80,182.30	10,220.27	90,402.57	68,196.21	22,206.36	सभी
	राजस्व	6,805.57	17.92	6,823.49	6,627.09	196.40	अ¥यर्पण
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	मार्च माह में
भारित	लोक ऋण- पुनर्भुगतान	4,289.13	71.00	4,360.13	4,247.08	113.05	की गई हैं।
	कुल	11,094.70	88.92	11,183.62	10,874.17	309.45	
₹	मकल योग	91,277.00	10,309.19	1,01,586.19	79,070.38	22,515.81	

स्रोतः विनियोग लेखे

तालिका 3.5 दर्शाता है कि 2021-22 के दौरान ₹ 1,01,586.19 करोड़ के कुल प्रावधान में से राज्य के विभागों द्वारा ₹ 79,070.38 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 22,515.81 करोड़ (22.16 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया। अप्रयुक्त राशि मार्च माह में अभ्यर्पित की गयी।

तालिका 3.6: 2017-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	75,673.42	80,200.00	85,429.00	86,370.00	91,277.00
अनुपूरक बजट	6,487.86	5,953.81	9,335.64	9,908.07	10,309.19
संशोधित अनुमान	82,161.28	86,153.82	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19
वास्तविक व्यय	67,815.12	65,930.08	71,093.25	74,458.59	79,070.38
बचत	14,346.16	20,223.74	23,671.39	21,819.49	22,515.81
बचत की प्रतिशतता	17.46	23.47	24.98	22.66	22.16

जैसा कि तालिका 3.6 से स्पष्ट है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। प्रत्येक वर्ष ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत है।

3.3.2 अन्पूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन अंततः, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएं धन के अभाव में अधूरी रह जाती है। आगे, यह परियोजना लागत में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। बचत के बावजूद अनावश्यक/ अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले तालिका 3.7 में दिए गए हैं।

तालिका 3.7: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अनुपयोग निधि
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07
2	18- खाद्य, सार्वजिनक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31
3	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73
4	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.22
5	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17
6	51- अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	126.16	1,663.03	1,080.74	582.28

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अनुपयोग निधि
7	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.88	1,995.05	467.27	1,527.78
8	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83
9	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,000.92	25.00	3,025.92	2,470.32	555.60
10	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	8,480.63	6,812.06	1,668.57
11	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	5,664.77	4,461.58	1,203.19
12	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86
	कुल	40,807.71	3,111.88	43,919.59	30,104.96	13,814.61

3.3.2.1 कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग लेखे की समीक्षा से यह उद्घटित होता है कि कई योजनाएँ, जो बड़े पैमाने पर आम लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित थी, के लिए आवंटित राशि में बड़ी बचत हुई थी। योजनाओं को पूर्ण नहीं किए जाने तथा लाभुकों तक अधूरे योजनाओं का लिक्षित लाभ नहीं पहुँचाये जाने के परिणामस्वरूप इन योजनाओं में विगत तीन वर्षों में बड़ी बचत हुई। उन योजनाओं में से कुछ को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2019	9-20	202	0-21	202	1-22
क्र.स.			बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36- पेय	ाजल एवं स्वच्छता विभाग						
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाईप	322.55	141.02	207.57	66.52	205.02	57.27
	जलापूर्ति योजना						
42- ग्रा	मीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प	प्रभाग)					
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए	205.21	86.26	300.00	107.71	300.00	100.77
	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना						
	(सी.ए.एस.सी.)						
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए	150.77	100.81	126.00	25.20	126.00	31.91
	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना						
	(सी.ए.एस.सी.)						
51- अ	नुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अ	ल्पसंख्यक	एवं पिछड़ा	वर्ग कल्या	ण विभाग	(अनुसूचित	जनजाति,
अनुसूचि	त जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभा	ग)					
4	2225-01-789-59-प्रवेश के बाद	27.00	4.86	27.00	5.05	25.00	18.00
	छात्रवृति						
5	2225-01-789-61-प्राथमिक स्कूल	12.27	7.97	8.00	5.22	6.00	2.79
	छात्रवृति						

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई, जो न केवल बजट प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मुद्दा उठाती है बल्कि राज्य की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ से वंचित भी की।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषनाएँ


सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। तथापि, विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने के कारण नहीं बताये गये। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका वो उपयोग कर सकते थे। 301 मामलों में 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 4,718.87 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट 3.7 में दिया गया है।

3.4 व्यय का वेग

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 113 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाये रखना स्वस्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

यह देखा गया कि मार्च 2022 में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक कल्याण द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 171.31 करोड़ की निकासी की गई जिसमें ₹ 11.55 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल व्यय (₹ 79,070 करोड़) में से ₹ 17,661 करोड़ जो 22.34 प्रतिशत था, मार्च 2022 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट था कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान माहवार प्राप्तियों एवं व्यय को चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।



चार्ट 3.4: 2020-21 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय

आगे यह देखा गया कि 29 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 13,170 करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में 40 प्रतिशत और उससे अधिक राशि जो ₹ 6,056.57 करोड़ (45.99 प्रतिशत) थी, का व्यय किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है। इसमें से ₹ 4,645.47 करोड़ (इन शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 35.27 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2022 में किया गया था।

3.5 अनुदान संख्या 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

झारखण्ड की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) का प्रथम प्राथमिकता इन गाँवों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण सड़कों और पुलों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और रख-रखाव करना है।

2021-22 के दौरान विभाग का कुल बजट प्रावधान ₹ 2,678.92 करोड़ था। बजट तथा इसकी उपयोगिता का विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	679.70	1,974.17	2,653.87
अनुपूरक अनुदान	4.16	20.89	25.05
कुल अनुदान	683.86	1,995.06	2,678.92
व्यय	642.43	467.27	1,109.70
बचत	41.43	1,527.79	1,569.22
अभ्यर्पण	41.43	1,527.79	1,569.22

स्रोतः विनियोग लेखे 2021-22

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) का विभागीय सचिवालय तथा 25 इकाईओं³ का बजटीय प्रक्रिया के लेखा परीक्षा के लिए आठ⁴ जिलों में चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय के प्रकृति के रुझान से यह पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास न केवल सतत बचत था बल्कि बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक था जैसा कि तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: अंतिम चार वर्षों में ग्रा.वि.वि. (आर.डब्ल्यू.ए.) के बचत का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
	राजस्व	1,234.97	1,219.08	2,454.05	2,382.27	71.78	
2018-19	पूँजीगत	2,170.80	0.00	2,170.80	1,941.16	229.64	07
	कुल	3,405.77	1,219.08	4,624.85	4,323.43	301.42	
	राजस्व	1,945.38	155.70	2,101.08	950.56	1,150.52	
2019-20	पूँजीगत	2,195.80	0.00	2,195.80	1,574.72	621.08	41
	कुल	4,141.18	155.70	4,296.88	2,525.28	1,771.60	
	राजस्व	1,839.57	0.00	1,839.57	845.62	993.95	
2020-21	पूँजीगत	776.70	105.00	881.70	817.87	63.83	39
	कुल	2,616.27	105.00	2,721.27	1,663.49	1,057.78	
	राजस्व	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	
2021-22	पूँजीगत	679.70	4.16	683.86	642.43	41.43	59
	कुल	2,653.87	25.05	2,678.92	1,109.70	1,569.22	

स्रोतः विनियोग लेखे 2018-22

जैसा कि तालिका 3.10 में दिखाया गया है, 2019-20 से 2021-22 के दौरान विभाग के पास लगातार भारी बचत थी। अविध के दौरान, बचत 39 प्रतिशत से 59 प्रतिशत के बीच थी जो न केवल जिला इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना विभाग द्वारा बजट तैयार करने का संकेत था बल्कि निधि का उपयोग करने में विभाग की अक्षमता को भी दर्शाता है। भारी धनराशि के अनुपयोग के कारण भी वर्ष के लिए बजट में शामिल राज्य की योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका।

³ अवर सचिव, आरडीडी, रांची और आठ चयनित जिलों में कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल, आरईओ और एनआरईपी के तीन कार्यालय।

^{4 (}i) चतरा (ii) धनबाद (iii) द्मका (iv) गिरिडीह (v) गोड्डा (vi) हजारीबाग (vii) रांची (viii) सरायकेला खरसावां

3.5.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड सरकार (झा.स.) द्वारा अपनाये गये बिहार बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए समय पर और सही तरीके से बजट तैयार करने के लिए बजट कलैण्डर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झा.स. ने स्थापना व्यय एवं सामान्य बजट का अनुमान/प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्धारित तिथि (नवम्बर 2020) को झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरूद्ध क्रमशः 21 दिसम्बर 2020 एवं 06 जनवरी 2021 संशोधित किया।

यह पाया गया है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लिक्षित तिथि के विरूद्ध विभाग ने स्थापना व्यय और सामान्य बजट के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) वित्त विभाग को क्रमश: नौ एवं 49 दिनों की देरी से 30 दिसम्बर 2020 और 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। आगे, विभाग के निर्देशानुसार (04.12.2020) क्षेत्र कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय का बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करने का निर्धारित तिथि 7 दिसम्बर 2020 था।

प्रमंडल/डीडीओं के नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभाग को निर्धारित तिथि के विरूद्ध स्थापना व्यय के लिए बजट प्राक्कलन विलम्ब सीमा सात से 154 दिनों में प्रस्तुत किया गया तथा छ: डीडीओं के द्वारा स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट प्राक्कलनों का विलम्ब/गैर-प्रस्तुती

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय / संभाग का नाम	जमा करने की तिथि	जमा करने की व ास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
		अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग (कार्य प्रमंडल)	दि.	प्रस्तुत नहीं ि	केया है
1	राँची	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	1868	14.12.2020	07
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.	可 —	18.12.2020	11
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	का. रि	प्रस्तुत नहीं ि	केया है
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	ग्रा . ः	24.12.2020	17
2	हजारीबाग	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.		14.12.2020	07
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	07.12.2020, (ਕਤਾਟ-10)-34 <i>3</i> /2020 04.12.2020)	23.12.2020	16
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	12.2 1-34:	21.12.2020	14
3	गिरिडीह	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.	07. -10) 04.	19.12.2020	12
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	ब्रजट	प्रस्तुत नहीं वि	केया है
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	05 (ē	17.12.2020	10
4	धनबाद	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.	सं. 0	23.12.2020	16
	यमबाद	का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	पत्र र	प्रस्तुत नहीं वि	केया है
	सरायकेला-	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	(द्वारा प	02.01.2021	26
5	सरायकला- खरसांवा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.	(द्व	प्रस्तुत नहीं ि	केया है
	उरतापा	का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.		10.05.2021	154

⁵ पत्र सं. 05 (बजट-10) 343/2020 ग्रा.का.वि. 1868

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय / संभाग का नाम	जमा करने की तिथि	जमा करने की व ास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.		17.12.2020	10
6	चतरा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.		15.12.2020	08
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.		प्रस्तुत नहीं वि	केया है
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.		17.12.2020	10
7	दुमका	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.		17.12.2020	10
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.		19.12.2020	12
		का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.		22.12.2020	15
8	गोड्डा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. प्र.		03.03.2021	86
		का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.		26.04.2021	140

3.5.5 एकल नोडल खाता का प्रभाव

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से भारत सरकार (जुलाई 2021) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल खाता (एस.एन.ए.) नामित करेंगें। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एसएनए खोला जाना था।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) के झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जे.एस.आर.आर.डी.ए.) के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, हिटया शाखा, राँची में एकल नोडल खाता (एस.एन.ए.) पी.एम.जी.एस.वाई. योजना/कार्यक्रम के लिए खोला गया और सभी शेष ₹ 1,514.29 करोड़ 2021-22 में उस खाते में स्थानांतरित किया गया। खाते का रख-रखाव ओएमएमएएस (आनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली) में किया गया जो भारत में पीएमजीएसवाई योजना को निगरानी करने का मुख्य तंत्र है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 714.04 करोड़ खर्च किया गया जिससे वर्ष के अंत में शेष ₹ 800.25 करोड़ रहा। भारत सरकार को खर्च नहीं किए गए शेष की वापसी इस तर्क पर नहीं की गयी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं था। हालांकि प्राप्त निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय को ₹ 36.56 करोड़ (कुल अर्जित ब्याज ₹ 60.93 करोड़ का 60 प्रतिशत रािश) वापस किया गया।

2021-22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य को निधियां (₹ 950 करोड़) जारी नहीं की गई थी क्योंकि दिशा-निर्देशों में शर्त थी कि पूर्व में जारी की गई निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग के बाद ही आगे की राशि निर्गत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में उपलब्ध कराए गए ₹ 535 करोड़ की राशि का राज्यांश भी जारी नहीं किया गया।

आगे, जेएसआरआरडीए के लेखाओं के सत्यापन से पता चला कि वर्ष 2020-21 के दौरान अंत शेष ₹ 1,596.25 करोड़ के जगह ₹ 1,514.29 करोड़ दिखाया गया, जिसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। विवरण **तालिका 3.12** में दिया गया है।

तालिका 3.12 जेएसआरआरडीए के एसएनए के समय-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रा. शे.	प्राप्त	ब्याज	अतिरिक्त	कुल निधि	व्यय	शेष	लेखापरीक्षा के
		निधि		विविध				अनुसार शेष
2015-16	27.10	890.00	2.21	8.97	928.28	732.05	131.23	196.33
2016-17	131.23	2,083.57	0.00	0.65	2,084.22	948.69	1,135.53	1,331.86
2017-18	1,135.53	922.24	20.14	3.00	2,080.91	1,142.66	938.25	1,134.58
2018-19	938.25	2,231.57	45.49	7.18	3,222.49	1,144.21	2,078.28	2,274.61
2019-20	2,070.00	625.22	66.61	7.51	2,769.34	1,292.20	1,584.45	1,681.75
2020-21	1,584.45	876.37	-357.03	472.05	2,575.84	1,076.89	1,514.29	1,596.25

यह भी देखा गया कि वर्ष 2021-22 के अंत में बैंक की एक ही शाखा में एक अलग खाते में अनुरक्षण निधि के एसएनए में ₹ 348.36 करोड़ भी पड़ा हुआ था, जिसके लिए जेएसआरआरडीए द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था।

3.5.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे दिए गए टिप्पणियों के अनुसार अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 में 40 योजनाओं (24 राजस्व अंतर्गत व 16 पूंजी अंतर्गत) में से, चार योजनाओं (राजस्व शीर्ष अंतर्गत) को ₹ 381.02 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों को उपयोग किए बिना अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा अतिरिक्त निधियां प्रदान किए गए। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: संपूर्ण बजट प्रावधान की गैर-उपयोगिता एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक
1	2515-00-001-27	27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना)	78.29	60.23	0.19
2	フケーケーロロー コロンートケ	65- सड़कों की मरम्मत के लिए पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान	140.00	140.00	10.00
3	2515_00_706_65	65- सड़कों की मरम्मत के लिए पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान	160.00	160.00	10.00
4	3451-00-090-16	16- ग्रामीण कार्य विभाग	2.73	2.68	0.13
		कुल	381.02	362.91	20.32

वर्ष 2021-22 के दौरान ऊपर दिखाए गए तालिका में योजनाओं हेतु ₹ 381.02 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों में से, विभाग ने ₹ 362.91 करोड़ का व्यय किया जिससे ₹ 18.11 करोड़ की बचत हुई। आगे, उन योजनाओं को अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा ₹ 20.32 करोड़ का अतिरिक्त निधि प्रदान किया गया जो कि बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था।

आगे, यह भी पाया गया कि दो योजनाओं के अंतर्गत केवल 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत के अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग किया गया। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14 अन्पूरक प्रावधानों के आंशिक उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	अनुप्रक	अनुपूरक प्रावधानों का आंशिक उपयोग
1	4515-00-103-10	10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना	90.00	1.00	0.26 (26%)
2	4515-00-796-10	10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना	100.00	1.00	0.49 (49%)
	कुल			2.00	0.75 (38%)

3.5.7 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार किया गया

बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/स्पष्टीकरण दिए गए है एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब.नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और आम बजट (राज्य, केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान सं.अ. से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किये बिना विभाग स्तर पर तैयार किये गये थे, जो कार्य को अन्ततः निष्पादित करने के लिए और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, सं.अ. से आवश्यकता प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना वर्ष 2021-22 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 2678.92 करोड़ में से ₹ 1,569.22 करोड़ (59 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण है।

3.5.8 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

ब.नि. के नियम 57 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए जितना खर्च किया जा सकता है उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

• अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वर्ष 2021-22 के दौरान, 16 उपशीर्षों के तहत ₹ 1,351.05 करोड़ का बजट प्रावधान विभाग के द्वारा बनाया गया था। तथापि, पूरा राशि विभाग के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया तथा सम्पूर्ण राशि को अभ्यर्पित किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 2021-22 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए सम्पूर्ण बजट राशि ₹ 0.80 करोड़ को अभ्यर्पित किया गया जैसा कि **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उद्देश्य	बजट प्रावधान	व्यय
1	पीएमजीएसवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए 10 वाहनों की खरीद के	0.40	0.00
	लिए और पीआईयू मॉनिटरिंग सेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए		
2	ग्रामीण सड़क योजनाओं और जीआईएस मैपिंग की उचित निगरानी के	0.10	0.00
	लिए परामर्शी सेवाओं के लिए		
3	ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के बेहतर	0.10	0.00
	प्रबंधन और सुददीकरण के लिए		
4	पीएमजीएसवाई के तहत आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित ग्रामीण	0.10	0.00
	सड़कों के निर्माण की जांच और निगरानी के लिए पीआईयू को		
	मजबूत करने के लिए		
5	राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 की तर्ज पर योजनाओं को लागू करने	0.10	0.00
	में नई तकनीकों से परिचित कराने और गुणवत्ता बनाए रखने के		
	लिए राज्य प्रशिक्षण के लिए		
	<u>.</u> कुल	0.80	0.00

आगे, नमूना जाँच से पता चला कि 2020-21 में ₹ 3.30 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधानों के गैर उपयोगिता के बावजूद ₹ 0.30 करोड़ 2021-22 में छ: उपशीर्षों में प्रदान किए गए जो कि उपयोग नहीं किया गया और विभाग के द्वारा अभ्यर्पित किया गया। विवरण तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: दो क्रमिक वर्षों में निधियों की गैर-उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2020-21 में प्रावधान		उद्देश्य
1	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.25		पीआईयू का सुदृढ़ीकरण (001-निदेशन एवं प्रशासन)
2	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	1.20	0.05	जेएसआरआरडीए का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन
3	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अंतर्गत कार्मिकां/अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.20		003-प्रशिक्षण
4	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.25	0.05	पीआईयू का सुदृढ़ीकरण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
5	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	1.20	0.05	जेएसआरआरडीए का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
6	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अंतर्गत कार्मिकां/अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.20	0.05	प्रशिक्षण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
	कुल	3.30	0.30	

• नम्ना जांच किए गए प्रमंडलों/कार्यालयों में यह देखा गया कि 25 शीर्षों/उपशीर्षों के अंतर्गत किए गए ₹ 8.58 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया जैसा कि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का गैर उपयोगिता और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यालयों/प्रमंडलों का नाम	इकाईओं की संख्या जहाँ अभ्यर्पण किये गए	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग (कार्य प्रमंडल)	04	4.50	0.00	4.50
'	राया	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	03	0.82	0.00	0.82
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.05	0.00	0.05
2	हजारीबाग	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	02	0.68	0.00	0.68
3	गिरिडीह	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	02	0.17	0.00	0.17
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
5	सरायकेला- खरसावाँ	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	04	1.11	0.00	1.11
6		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.17	0.00	0.17
6	चतरा	का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.30	0.00	0.30
7	दुमका	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.20	0.00	0.20
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.04	0.00	0.04
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.05	0.00	0.05
8	गोड्डा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.30	0.00	0.30
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
		कुल	25	8.58	0.00	8.58

प्रावधानों की अनुपयोगिता एवं बिना कारण बताए उसका अभ्यर्पण विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किये बिना अनुचित अनुमान का द्योतक था। बड़ी बचत से बचा जा सकता था यदि विभाग ने वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप (बजट लेनदेन का व्यापक परिव्यय) में व्यय का वास्तविक अनुमान प्रस्तुत किया होता।

3.5.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका अनुमान लगाया जाता है, तुरंत सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। संभावित भविष्य की अधिकता के लिए कोई बचत रिजर्व में नहीं रखी जानी चाहिए। आगे, नियम 135 के अनुसार, लक्ष्य संशोधित अनुदान के भीतर व्यय को ठीक रखने का होना चाहिए। समर्पण, आम तौर पर 28 फरवरी और 15 मार्च के बीच किया जाता है, दस मासिक आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और व्यय की प्रगति पर नजर रखने से एक नियंत्रक अधिकारी को उचित सटीकता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताओं को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 2,678.92 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 683.86 करोड़ तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,995.06 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,569.22 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 41.43 करोड़

तथा राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 1,527.79 करोड़) के विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया।

आगे, नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि व्यय की प्रत्याशा और निधि के विलम्ब से आवंटन जैसे कारणों पर वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1.64 करोड़ (60 उप-शीर्षों में ₹ 2.72 करोड़ के कुल प्रावधानों का 61 प्रतिशत) का समर्पण किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.10 में दर्शाया गया है।

जवाब में यह कहा गया कि निधि का विलंब से आवंटन एवं व्यय की प्रत्याशा में, कोषागारों में तकनीकी समस्याओं आदि के कारण इसे पूर्व में अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण, सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ता है जो निधि की कमी के कारण अध्री रह गई थी।

3.5.10 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय के वेग को सामान्यत: वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल व्यय ₹ 1,109.70 करोड़ में से ₹ 235.06 करोड़ (21 प्रतिशत) मार्च 2022 के माह में व्यय किया गया। जाँच से आगे पता चला कि वर्ष के दौरान 40 उप शीर्षों में से चार में, मार्च माह में कुल व्यय का 49 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। आगे प्रमंडलीय/डीडीओ के नमूना जाँच में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत व्यय 30 से 100 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि परिशिष्ट 3.11 में दर्शाया गया है।

3.5.11 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 1,109.70 करोड़ में से ₹ 562.14 करोड़ की राशि से विभाग के नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

I	豖.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित	असमाशोधित
	सं.		(विनियोग लेखे के अनुसार)	राशि	राशि
	1	2505	11.17	0.20	10.97
	2	2515	453.42	13.91	439.51
	3	3451	2.68	0.00	2.68
	4	4515	642.43	533.45	108.98
		कुल	1,109.70	547.56	562.14

आगे, नमूना जांचित प्रमंडलों/डीडीओ में वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ₹ 54.25 करोड़ में से ₹ 47.69 करोड़ राशि को स्थापना शीर्ष के अंतर्गत समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 3.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: विभागीय व्यय आँकड़े का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

王 並	जिले का	कार्यालयों/प्रमंडलों का नाम	कुल व्यय	समाशोधित	असमाशोधित
क्र.सं.	नाम	ભાયાલયા/પ્ર મંડલા મા નામ		राशि	राशि
		अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास	3.84	0.00	3.84
		विभाग (कार्य प्रमंडल)	3.04	0.00	3.04
1	राँची	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	3.61	0.00	3.61
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	3.83	0.00	3.83
		निदेशक का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	1.52	0.00	1.52
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.32	0.00	2.32
2	गिरिडीह	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.81	0.00	2.81
		का. अभि. का का, रा. ग्रा. नि. यो.	0.39	0.00	0.39
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.69	0.00	2.69
3	हजारीबाग	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.42	0.00	2.42
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.41	0.00	0.41
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.12	0.00	2.12
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.59	0.00	2.59
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.35	0.00	0.35
	सरायकेला-	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.83	2.07	0.76
5	खरसावाँ	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	1.27	0.00	1.27
	GKIIGI	का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.27	0.11	0.16
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	1.67	0.00	1.67
6	चतरा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	1.33	0.00	1.33
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.44	0.00	0.44
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.28	0.00	0.28
7	दुमका	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.73	0.00	2.73
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	0.16	0.00	0.16
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	10.22	6.38	3.84
8	गोड्डा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.77	0.00	2.77
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	1.38	0.00	1.38
		कुल	54.25	8.56	45.69

महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बिहयों से आँकड़ों का असमाशोधन न सिर्फ नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का अवहेलना/उल्लंघन को दर्शाता है बिल्क व्यय और पावती के गलत वर्गीकरण के खतरा को बताता है।

3.5.12 विविध योग के रूप में ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय ईमार्ग (पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) के उपयोगकर्ता नियमावली के अनुसार, भारत सरकार के लेखा अधिकारी (ले.अ.) उसी के लिए टिप्पणी देकर अनुमोदित राशि में विविध योग या कटौती के लिए अभ्युक्ति देकर प्रविष्टि कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत ग्रामीण सड़को के रखरखाव के लिए ई-मार्ग प्रणाली द्वारा 16 प्रमण्डलों में से पांच में ₹ 135.84 लाख को अनुमोदित किया जबिक ₹ 1.46 लाख के विविध कटौती करने के बाद ठेकेदार को ₹ 226.88 लाख भुगतान किया गया तथा दिशा-निर्देशों में अपेक्षित कोई उचित कारण बताये बिना अनुमोदित राशि (₹ 135.84 लाख) से ₹ 92.50 लाख की विविध वृद्धि की गयी। अत: विविध योग के रूप में ठेकेदार को ₹ 92.50 लाख की राशि का अनियमित भुगतान किया गया। विवरण तालिका 3.20 में दिया गया है।

तालिका 3.20: विविध योग के रूप में भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडल/कार्यालय का नाम	कुल व्यय	ई-मार्ग द्वारा	विविध	टिप्पणी
			अनुमोदित	योग	
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.,	32.98	25.18	7.80	
	गिरिडीह				
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	101.31	75.30	26.01	
	गिरिडीह				
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.,	33.69	24.01	9.68	
	हजारीबाग				
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	11.15	10.71	1.90	1.46 (विविध
	हजारीबाग				कटौती)
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गोड्डा	47.75	0.64	47.11	
	कुल	226.88	135.84	92.50	

जवाब में कार्यपालक अभियंता ने कहा कि मुख्य अभियंता, जे.एस.आर.आर.डी.ए के निर्देशानुसार इनके करार मूल्य को प्राप्त करने के लिए विविध योग के रूप में ठेकेदारों को राशि भुगतान किया गया।

ठेकेदारों को ई-मार्ग प्रणाली में बिना कारण दर्ज किये ₹ 92.50 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो कि वित्तीय औचित्य के विरूद्ध था और सरकारी धन के द्रूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3.5.13 ई मार्ग प्रणाली के बजाय चेक के माध्यम से भुगतान

दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत रखरखाव कार्य के भुगतान दिनांक 01.04.2020 से ई मार्ग प्रणाली द्वारा किया जाना अनिवार्य था। ठेकेदारों को मासिक विपत्र (वेब आधारित सॉफ्टवेयर यूटिलीटी ई मार्ग पर) अगले माह के $10^{\frac{1}{6}}$ दिन तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी तथा यदि ठेकेदारों से किसी महीने

का विपत्र नहीं प्राप्त किया गया तो उनका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार को जब्त किया जाना था तथा ठेकेदार को कोई भ्गतान नहीं किया जाना था।

जाँच से पता चला कि पी.एम.जी.एस.वाई रखरखाव निधि से ठेकेदार को बिना ई-मार्ग प्रणाली को उपयोग किए हुए ₹ 13.14 करोड़ का भुगतान किया गया अर्थात ठेकेदारों को चेक से भुगतान किया गया जो कि दिशानिर्देश के विरूद्ध था। भुगतान का विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है।

तालिका 3.21: ई-मार्ग का उपयोग किए बिना ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि का विवरण

		भुगतान राशि (₹	करोड़ में)
क्र.	प्रमण्डल का नाम	पी.एम.जी.एस.वाई	तक भुगतान
सं.	प्रमण्डल का माम	रखरखाव निधि के	
		अंतर्गत	
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., राँची	2.13	मार्च 22
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.11	मार्च 22
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गिरिडीह	0.66	जून 21
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	0.23	मार्च 22
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., हजारीबाग	0.59	अगस्त 21
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., धनबाद	0.05	जून 21
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	0.14	जून 21
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	1.54	फरवरी 22
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	0.53	सितम्बर 21
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.24	सितम्बर 21
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	2.90	अक्टूबर 21
12	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गोड्डा	4.02	फरवरी 22
	कुल	13.14	

जवाब में कार्यपालक अभियंता (दुमका एवं हजारीबाग) ने बताया कि मुख्य अभियंता, जेएसआरआरडीए के निर्देश पर 01.04.2020 से पहले आवंटित कार्यों के लिए ठेकेदारों को भ्गतान किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सभी भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 01.04.2020 के बाद ईमार्ग के माध्यम से अनिवार्य रूप से किए जाने थे, जिसका पालन नहीं किया गया था।

3.5.14 एकल नोडल खाता में अवरुद्ध निधि - ₹ 1,148.61 करोड़

विनियोग अधिनियम के अनुसार, ट्रेजरी से आहरित की गई निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर कर लेना चाहिए। अग्रतर, झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) का नियम 174 कहता है कि मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्यपगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई पैसा आहरित नहीं किया जायगा। यदि विशेष परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत अग्रिम रूप से धन आहरित किया जाता है तो इस प्रकार आहरित की गई अव्ययित शेष राशि को अगले बिल में या चालान के साथ जल्द से जल्द संभव अवसर पर और किसी भी मामले में

वित्तीय वर्ष के अंत से पहले, जिसमें राशि निकाली जाती है, कोषागार में वापस कर दिया जाना चाहिए।

नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 16 प्रमंडलों में से 13 में पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 67.96 करोड़ और पी.एम.जी.एस. वाई रखरखाव निधि के तहत ₹ 3.20 करोड़ (कुल ₹ 71.16 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया था और एकल नोडल खाता में अवरुद्ध किया गया था, जहाँ जे.एस.आर.आर.डी.ए. में कुल बकाया शेष ₹ 1,148.61 करोड़ (पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 800.25 करोड़ और पी.एम.जी.एस.वाई रखरखाव निधि के तहत ₹ 348.36 करोड़) था। विवरण तालिका 3.22 में दिया गया है।

तालिका 3.22: बैंक खातों में अवरुद्ध निधि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का नाम	बैंक खातों में अवरुद्ध राशि			
क्रा. स.	. स. जिला ग्रामाण विकास प्राधिकरण का नाम		रखरखाव निधि	कुल	
1	कार्य., ग्रा. का. प्र., राँची	0.39	0.43	0.82	
2	कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.84	0.02	0.86	
3	कार्य., ग्रा. का. प्र., गिरिडीह	15.42	0.61	16.03	
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	2.56	0.06	2.62	
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., हजारीबाग	2.41	0.60	3.01	
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., धनबाद	0.01	0.29	0.30	
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	1.90	0.23	2.13	
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	5.77	0.20	5.97	
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., चतरा	5.17	0.30	5.47	
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	31.59	0.04	31.63	
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.05	0.27	0.32	
12	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	1.51	0.15	1.66	
13	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गोड्डा	0.34	0.00	0.34	
	कुल	67.96	3.20	71.16	

इस प्रकार, ₹ 71.16 करोड़, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, जेटीसी कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोषागार से 13 नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आहरित कर एसएनए (बैंक खाते) में जमा करा दिया गया।

3.5.15 अन्य आपत्तियाँ

• माप पुस्तिका (एम बी) का संधारण नहीं किया जाना

जे.पी.डब्ल्यू.ए. कोड (नियम 244) में प्रावधान के अनुसार माप पुस्तिका को एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखना चाहिए क्योंकि यह सभी लेखा मात्राओं का आधार होता है, चाहे कार्य दैनिक मजदूरों द्वारा किया गया हो, या टुकड़ों में या संविदा में, या फिर प्राप्त किए गए सामान जिसे गिना गया हो या तौला गया हो। कार्य का विवरण स्पष्ट होना चाहिए ताकि आसानी से पहचान और जांच की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.एम.जी.एस.वाई. रख-रखाव निधि के तहत ₹ 4.39 करोड़ ठेकेदारों को ई मार्ग के द्वारा बिना माप पुस्तिका में दर्ज किए हुए कार्य समाप्ति के पांच वर्षों तक भुगतान किया गया जैसा कि तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23: माप पुस्तिका के संधारण के बिना किये गए भुगतान का ब्यौरा

(₹करोड में)

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	कार्य मूल्य	टिप्पणी
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.42	माप पुस्तिका संधारित नहीं
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., चतरा	0.17	माप पुस्तिका संधारित नहीं
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	1.43	माप पुस्तिका संधारित नहीं
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.29	माप पुस्तिका संधारित नहीं
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	1.97	माप पुस्तिका संधारित नहीं
	कुल	4.39	

ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना एक गंभीर अनियमितता थी। एम.बी. के अभाव में, अविध के दौरान किये गए कार्य की मात्रा सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

• रोकड़ बही का गैर रख-रखाव

जे.टी.सी. के नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषागार से संबंधित लेन-देन का पूरा रिकार्ड लेखाकार की रोकड़ बही में या तो मैनुअल रजिस्टर में या कम्प्यूटर सिस्टम पर रखा जाएगा। आगे, वित्त प्रभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार (06.11.2019) प्रत्येक सरकारी कार्यालय में रोकड़ बही का संधारण एवं अधतन किया जाना चाहिए। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक माह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल-रांची, हजारीबाग एवं दुमका द्वारा स्थापना व्यय के संबंध में रोकड़ बही (सीबी) का संधारण/लेखन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपित्त के बाद रोकड़ बही का रख-रखाव कार्यपालक अभियंता, आरडीएसडी, रांची द्वारा किया गया, जबिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद हजारीबाग एवं दुमका प्रमंडलों द्वारा इसका संधारण/लेखन नहीं किया गया। रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना एक गंभीर अनियमितता थी और जे.टी.सी. के प्रावधानों के विरूद्ध थी। इसके अलावा, सरकारी धन के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

• बकाया प्रेषण

जे.टी.सी के नियम 42 के अनुसार प्राप्ति सरकारी खाते में नकद, चेक, बैंक भुगतान आदेश, बैंक क्रेडिट चालान या नेट बैंकिंग/ई-रसीद सुविधा के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए प्रमंडलों में पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि (₹ 1.90 करोड़) और अनुरक्षण निधि (₹ 0.04 करोड़) की राशि की कुल प्राप्तियां ₹ 1.94 करोड़ जैसा कि तालिका 3.24 में दिखाया गया है, जिन्हें क्रमश: ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ.एम.एम.ए.एस) और पी.एम.जी.एस.वाई (ई-मार्ग) पोर्टल पर बकाया राशि के रूप में दिखाया गया था, को अक्टूबर 2022 तक सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था।

तालिका 3.24: बकाया प्रेषण का ब्यौरा

		बकाया प्रेप	षण की राशि
क्र.सं.	प्रमंडलो का नाम	(₹ ₹	ाख में)
		योजना निधि	रखरखाव निधि
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	90.32	0.00
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	28.71	0.00
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., सरायकेला	12.78	0.00
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	27.39	0.00
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	29.24	0.00
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला	-	0.78
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	-	0.04
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	-	3.57
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गोड्डा	1.73	0.00
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गोड्डा	-	0.03
	कुल	190.17	4.42

इसके अलावा, चार प्रमंडलों में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधियों का बकाया प्रेषण शेष ओएमएमएएस (₹ 67.74⁶ करोड़) में नकारात्मक के रूप में दिखाया गया था। कार्यपालक अभियंता इसके लिए कोई कारण बताने में सक्षम नहीं थे और कहा कि मामले की जांच की जाएगी और निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जबाब (अक्टूबर 2022 तक) प्रतीक्षित है।

• रोकड़ बही शेष में विसंगति

पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के अंतर्गत 16 में से 11 प्रमंडलों की नमूना जांच से पता चला कि रोकड़ वही में अंत शेष ₹ 60.50 करोड़ थी जबिक ओ.एम.एम.ए.एस के अनुसार अंत शेष ₹ 83.76 करोड़ था। पी.एम.जी.एस.वाई अनुरक्षण निधि के अंतर्गत भी रोकड़ बही में अंतिम शेष ₹ 2.24 करोड़ था जबिक, ओ.एम.एम.ए.एस के अनुसार अंतिम शेष ₹ 3.49 करोड़ था। विवरण तालिका 3.25 में दर्शाया गया है।

92

⁽i) ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ: ₹ 980.94 लाख, (ii) ग्रा. का. प्र.,चतरा: ₹ 1,854.41 लाख और (iii) ग्रा. का. प्र., द्मका: ₹ 1,348.06 लाख

तालिका 3.25: रोकड़ बही में शेष का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र . सं.	प्रमंडलो का नाम	पीएमजीएमताई	कार्यक्रम निधि का	पीएमजीएमताई	ग्यग्यात निधि का
× . (1.	2010(11 40 01101	अन्तशेष	1/14/101 10114 1/1	अन्तशेष	(G(G)4 IIII4 4II
			ओ.एम.एम.ए.एस		ओ.एम.एम.ए.एस
			के अनुसार		के अनुसार
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि.	84.12	158.72	1.72	1.67
	प्र., गिरिडीह				
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	1,542.00	1,218.70	61.45	69.22
	गिरिडीह				
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि.	255.63	255.63	6.35	3.40
	प्र., हजारीबाग				
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	241.08	241.08	59.79	4.01
	हजारीबाग				
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	1.03	2.71	28.66	0.88
	धनबाद				
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	576.90	296.85	19.96	16.89
	सरायकेला-खरसावाँ				
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	3,159.45	3,146.94	4.30	10.41
	चतरा				
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि.	4.69	2,725.61	26.98	54.13
	प्र., दुमका				
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	151.36	123.29	15.39	63.14
	दुमका				
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि.	33.69	39.32	0.00	0.00
	प्र.,गोड्डा				
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.,	0.00	166.99	0.00	125.67
	गोड्डा				
	कुल	6,049.95	8,376.14	224.15	349.18

जवाब में, सम्बंधित प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभागीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श कर मामले की जाँच की जाएगी और निष्कर्षों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

• अपूर्ण कार्य

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण एवं उनका अनुरक्षण करना है। गरीबी उन्मूलन के लिए सभी मौसम सड़कों को माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के कनेक्टिवीटी का एक प्रभावी तरीका है।

नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में से 11 यह पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत पांच कार्य तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (एमएमजीएसवाई) के अंतर्गत 43 कार्य नियत समय पर पूरे नहीं किए गए थे। विवरण तालिका 3.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: अपूर्ण कार्य का ब्यौरा

(₹ करोड में)

	_	· .	T .			_	(र कराइ म)
क्र.	जिला का	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य की	कार्य समाप्ति की	मार्च 22	मार्च 22 तक
सं.	नाम			संख्या	तिथि	तक व्यय	भौतिक प्रगति
		का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	03	08.09.2020 से	5.85	30 से 80 %
		ग्रा. वि. वि. प्र.	रमरमजारसपाइ	03	09.10.2021	5.65	30 4 60 %
1	रांची		पी.एम.जी.एस.वाई	05	09.08.2019 से	3.17	95 %
'	रापा	का. अभि. का कार्य.,	पा.एम.जा.एस.पाइ	0	27.06.2021	3.17	95 /6
		ग्रा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	04	30.05.2018 से	6.94	76 से 95 %
			रमरमणारसपाइ	04	13.08.2021	0.54	70 (1 33 70
		का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	05	13.07.2018 से	14.56	60 से 98 %
2	गिरिडीह	ग्रा. वि. वि. प्र.	रगरगजाररावाइ	00	13.01.2022	14.50	00 (1 30 70
	1411/216	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	03	06.10.2020 से	2.42	80 से 92 %
		ग्रा. का. प्र.	रमरमणारसपाइ	3	30.10.2020	2.42	OU 41 92 70
		का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	05	27.07.2016 से	23.40	35 से 82 %
3	हजारीबाग	ग्रा. वि. वि. प्र.	रगरगणाररावाइ	30.10.2021		25.40	00 (1 02 70
	CONTRACT	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	04	04.03.2019 से	4.01	20 से 85 %
		ग्रा. का. प्र.	रणरणारसम्बद्	0-1	23.10.2020	4.01	20 (1 00 70
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	01	30.11.2019	0.71	90 %
	4-1-19	ग्रा. का. प्र.	(1)(1)(1)(1)(1)	0.		0.7 1	00 70
		का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	04	14.06.15 से	26.46	50 से 97 %
5		ग्रा. वि. वि. प्र.	COT COTON CALLED		30.12.2021	20.10	
	-खरसावाँ	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	06	31.10.2018 से	05.26	45 से 95 %
		ग्रा. का. प्र.			18.05.2021		
6	चतरा	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	02	17.10.2019 एवं	0.98	50 एवं 80 %
		ग्रा. का. प्र.			10.07.2020		
7	द्मका	का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	02	29.01.2020 से	2.18	65 एवं 66 %
	3	ग्रा. का. प्र.	•		16.01.2019		
		का. अभि. का कार्य.,	एमएमजीएसवाई	01	15.01.2022	3.88	82 %
8	ग्रा. वि. वि. प्र.						
	का. अभि. का कार्य.,		03	21.02.2019 से	5.37	35 से 85 %	
		ग्रा. का. प्र.	1 1111211111111111111111111111111111111		23.08.2020	0.01	
		कुल		48		105.19	

बजट प्रावधान के बावजूद कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समय अधिक लगता है बल्कि हितग्राहियों को इच्छ लाभ से भी वंचित रखता है।

सम्बंधित प्रमंडलों के प्रभारी कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, स्थानीय बाधा एवं कोविड-19 महामारी के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। आगे यह कहा गया कि कार्य में विलम्ब करने वाले अन्य ठेकेदारों को पत्र जारी कर दिए गए है।

• बजट भाषण में घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

वर्ष 2021-22 के विभाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2021-22 के दौरान पूर्ण होने वाले बजट भाषण में घोषित तीन योजनाओं के तहत भौतिक उपलिंधियों 33 से 63 प्रतिशत के बीच ही थी। विवरण तालिका 3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.27: बजट भाषण में घोषित योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट भाषण के अनुसार	उपलब्धि	उपलब्धि	बजट	व्यय
		लक्ष्य (कि.मी. में)	(कि.मी. में)		प्रावधान	
1	पी.एम.जी.एस.वाई	कें 621	389	63 %	1,000.00	714.04#
'	पा.एम.जा.एस.पाइ	104	26	25 %	1,000.00	714.04
2	आरसीपीएलडब्लूईए सड़के	444	145	33 %	485.00	79.54
3	राज्य प्रायोजित योज सड़कें	ना- 2000	708.92	35 %	400.00	238.08
	कुल	3,169	1,268.92	40 %	1,885.00	1,031.66
						(55 %)

[#] पूर्व शेष से व्यय

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, बजट प्रावधान ₹ 885 करोड़ के विरूद्ध इन योजनाओं पर व्यय क्रम संख्या दो एवं तीन के सापेक्ष ₹ 317.62 करोड़ (36 प्रतिशत) दर्शाया गया तथा वर्ष के दौरान योजनाएँ अधूरी रहीं। वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमजीएसवाई पर बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा और विभाग द्वारा वापस कर दिया गया।

3.6 अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

झारखण्ड ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से प्रभावित रहा है। झारखण्ड सरकार ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 24 जिलो में जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाकर राज्य में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए अपनी शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया, पुनप्राप्ति और पुनर्वास रणनीतियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने इस विभाग को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,711.34 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया था जिसका विवरण उपयोगिता के साथ तालिका 3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.28: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	00	1,264.56	1,264.56
अनुपूरक अनुदान	00	446.78	446.78
कुल अनुदान	00	1,711.34	1,711.34
व्यय	00	966.61	966.61
बचत	00	744.73	744.73
अभ्यर्पण	00	744.62	744.62
अधिक व्यय	00	00	00

स्रोत : वर्ष 2021-22 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

3.6.2 लेखापरीक्षा का दायरा

विभागीय सचिवालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) और आठ⁷ जिलों का चयन बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

3.6.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) के दौरान बजट और व्यय के संबंध में विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा की प्रवृति का विश्लेषण करने से पता चला कि इस अविध के दौरान विभाग के पास न केवल सतत बचत थी बिल्क बजट अनुमानों की तुलना में बचत का प्रतिशत भी बहुत अधिक थी। विवरण तालिका 3.29 में दिया गया है।

तालिका 3.29: गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) में पिछले चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की
							प्रतिशतता
2018-19	राजस्व	713.08	195.06	908.14	470.33	437.81	48.21
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	713.08	195.06	908.14	470.33	437.81	
2019-20	राजस्व	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.28	61.18
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	718.82	407.88	1,126.70	437.42	689.28	
2020-21	राजस्व	985.12	912.50	1,897.61	1,375.94	521.67	27.49
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	985.12	912.50	1,897.61	1,375.94	521.67	
2021-22	राजस्व	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	43.52
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	

स्रोत : विनियोग लेखे 2018-22

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 को छोड़कर, विभाग की बचत 40 प्रतिशत से अधिक थी। यह न केवल निधि का उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का धोतक था बल्कि इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बजट में सम्मिलित राज्य की योजनाएँ निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुई।

3.6.4 बजट अनुमान प्रस्तुत करने में विलंब

अभिलेखों की जांच से पता चला कि बजट नियमावली के नियम 62 में दी गयी समय सीमा का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था और 21 दिसम्बर 2020 की लक्ष्य तिथि के विरूद्ध आपदा प्रबंधन प्रभाग ने स्थापना के बजट अनुमान (बी.ई) वित्त विभाग को 19 जनवरी 2021 अर्थात 29 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किए।

[ं] i) रांची ii) चाईबासा iii) जमशेदप्र iv) बोकारो v) पलाम् vi) द्मका vii) देवघर एवं viii) ग्मला

बजट कैलंडर का अनुपालन न करने से न केवल बजट अनुमानों की तैयारी की समय-सारणी प्रभावित होती है बल्कि विभिन्न स्तरों पर इसके संवीक्षा के लिए आवश्यक समय भी कम हो जाता है।

3.6.5 वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना तैयार किए गए अनुमान

बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 65 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि वे सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए है, और स्पष्टीकरण पर्याप्त है।

यह देखा गया कि बी.एम के नियम 65 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) और स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान सं.अ. से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना विभाग स्तर पर तैयार किए गए थे जो अंततः कार्य को निष्पादित और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

सं.अ. से बिना आवश्यकता प्राप्त किए बजट तैयार करना वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 1,711.34 करोड़ में से ₹ 744.73 करोड़ (43.52 प्रतिशत) के भारी बचत का एक कारण था।

3.6.6 विभागीय व्यय के आँकड़े का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचने के लिए नियंत्रक अधिकारी को मासिक आधार पर विभागीय लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के बहियों से समाशोधन करने के व्यवस्था करनी चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान कि ₹ 966.61 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 964.50 करोड़ के व्यय की राशि को प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.) के बहियों के साथ विभाग के नियंत्रक अधिकारी द्वारा समाशोधन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.30 में विवरणित है।

तालिका 3.30: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2245	066.61	0.11	064.50
2	2235	966.61	2.11	964.50
कुल		966.61	2.11	964.50

3.6.7 परिहार्य पूरक प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने वाले जिम्मेवार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो खर्च किया जा

सकता है, उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है। यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान तीन उपशीर्षों में कुल मूल अनुदान राशि ₹ 0.80 करोड़ थी, जिसमें से मात्र ₹ 0.01 करोड़ विभाग द्वारा व्यय किया गया। मूल अनुदान से ₹ 0.79 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ छः करोड़ का पूरक अनुदान उपलब्ध कराया गया जो अनावश्यक साबित हुआ। इसी प्रकार एक उपशीर्ष में कुल मूल अनुदान राशि ₹ 295 करोड़ तथा पूरक अनुदान राशि ₹ 195 करोड़ (प्रथम अनुपूरक ₹ 95 करोड़ एवं द्वितीय अनुपूरक ₹ 100.00 करोड़) उपलब्ध कराया गया जिसके विरुद्ध ₹ 340.32 करोड़ व्यय किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 149.68 करोड़ की बचत हुई जो अनुपूरक प्रावधान निधि का परिहार्य होना दर्शाता है। विवरण तालिका 3.31 में दिया गया है।

तालिका 3.31: परिहार्य पूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मून अनुदान	पूरक	व्यय	बचत
1	2245-02-101-03	0.50	2.00	0.01	2.49
2	2245-02-104-01	0.00	2.00	0.00	2.00
3	2245-02-112-01	0.30	2.00	0.00	2.30
4	2245-80-102-01	295.00	195.00	340.32	149.68
	कुल	295.80	201.00	340.33	156.47

3.6.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

यह देखा गया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने बजट नियमावली के नियम 112 का पालन नहीं किया और ₹ 744.62 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2235 के तहत ₹ 6.70 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 2245 के तहत ₹ 737.92 करोड़) 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,711.34 करोड़ (ट्रेज़री एम.आई.एस. के अनुसार) के प्रावधानों के विरुद्ध समर्पण कर दिया जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में दिया है, जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर निधियों के उपयोगिता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

3.6.9 राज्य द्वारा एसडीएमएफ दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन न करना

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के गठन न होने से भारत सरकार से ₹ 113.25 करोड़ की अप्राप्ति

एसडीआरएफ दिशानिर्देश की धारा 7.1 के अनुसार, राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य और आरक्षित निधि- 130 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) का गठन करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि एसडीएमएफ का गठन ही नहीं किया गया था और इस संबंध में दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अक्टूबर 2022 तक पालन नहीं किया गया था।

एस.डी.एम.एफ में आवश्यक राशि को एस.डी.आर.एफ. शीर्ष 8121-122 के तहत जमा किया गया था।

आगे, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2021-22 से एसडीएमएफ के अलग से आवंटन किया जाना था। वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार को ₹ 113.25 करोड़ और राज्य सरकार को अपने हिस्से का ₹ 37.75 करोड़ एसडीएमएफ को जारी करना था। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य का अंश जारी किया गया था। अतः एसडीएमएफ के गठन ना होने के कारण केंद्रीय हिस्सा के रूप में ₹ 113.25 करोड़ की राशि का लाभ राज्य को प्राप्त नहीं हुआ।

3.6.10 लेन देन की प्रविष्टि न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खाते के आँकड़ों में भारी अंतर

कार्यालय जिला नजारत, डिप्टी कलेक्टर (एनडीसी), रांची के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च 2021 को सामान्य रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि ₹ 45,43,20,103.48 थी। हालाँकि, बैंक खाते में शेष राशि ₹ 7,52,84,156.50 थी तथा दोनों का अंतर ₹ 37,90,35,946.98 था। इसके अलावा, यह देखा गया कि एनडीसी कार्यालय के कैश बुक में ₹ 28,44,19,477 के बिना पारित वाउचर और ₹ 9,45,78,206.01 अग्रिम के (कुल ₹ 37,89,97,683.01) थे। इसलिए, बेहिसाब वाउचरों और अग्रिमों को खाते में लेने के बाद 31 मार्च 2021 को बैंक खाते और कैश बुक के बीच ₹ 38,263.97 का अंतर था। यह भी देखा गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 के रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया गया था। रोकड़ बही का रख-रखाव न करना न केवल वित्तीय नियमों के घोर उल्लंघन का मामला है बिल्क इसमें सार्वजिनक धन के दुरूपयोग और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का जोखिम भी शामिल है। इस संबंध में एन.डी.सी. कार्यालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। 31 मार्च 2021 तक एनडीसी के नकद शेष का विवरण परिशिष्ट 3.13 में दिया गया है।

3.6.11 ₹ 1,85,290 का संदिग्ध दुर्विनियोजन

कोविड-19 महामारी के दौरान, जिले में पिक-अप वैन, मिनी ट्रक और कारों जैसे वाहनों का उपयोग प्रबंधन उद्देश्यों जैसे मजदूरों के परिवहन, अधिकारियों द्वारा निगरानी आदि के लिए किया गया था। कार्यालय जिला नजारत, डिप्टी कलेक्टर (एनडीसी) रांची और बोकारो कार्यालय के वाउचरों की क्रॉस-चेक भारत सरकार के वाहन एप्लीकेशन के साथ करने पर यह उद्घाटित हुआ कि वाउचर में पिक-अप वैन, मिनी ट्रक और कार के रूप में दावा किए गए वाहन वास्तव में दो पिक्या वाहन थे। हालांकि, संबंधित डीटीओ को वाहनों के प्रकारों के आगे सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध भेजा गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए वाहनों का विवरण निम्नानुसार था:

(i) बोकारो जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत को कोविड-19 प्रबंधन हेतु राहत सामग्री पहुँचाने में प्रयुक्त वाहनों को दिनांक 25.04.2020 को वाउचर संख्या 10/2020-21 के माध्यम से ₹ 2,32,900.00 का भुगतान किया गया, जिसमें ₹ 35,880 के वाउचर संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। संदिग्ध वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण तालिका 3.32 में दिया गया है।

तालिका 3.32: वाहनों और किए गए भ्गतान का विवरण

वाहन संख्या	अभिश्रव पर अंकित	एम- परिवहन	उपयोग की अवधि	भुगतान की गयी
	वाहन प्रकार	साईट पर वाहन		राशि (₹ में)
जेएच09एक्यू1600	पिक-अप वाहन	स्प्लेंडर	मार्च एवं अप्रैल 2020	7,860
जेएच09एएफ7264	पिक-अप वाहन	टी.वी.एस. अपाचे	मार्च 2020	3,930
जेएच09एके0178	पिक-अप वाहन	पल्सर	मार्च 2020	3,930
जेएच09एटी2706	टाटा ४०७	ग्लैमर	मार्च 2020	4,410
जेएच09एएम3175	टाटा 1109	प्लेटिना	मार्च 2020	6,750
जੇएच09एल8476	टाटा 1109	मोटर साइकिल	अप्रैल 2020	9,000
	35,880			

(ii) राँची जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत में कोविड-19 प्रबंधन हेतु राहत सामग्री पहुँचाने वाले वाहनों के भुगतान के वाउचर ₹ 1,49,410 संदिग्ध पाये गये। वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण तालिका 3.33 में दिया गया है।

तालिका 3.33: वाहनों और किए गए भ्गतान का विवरण

क्र.	वाहन संख्या	वाहन प्रकार	एम- परिवहन	उपयोग की अवधि	दिनों की	प्रति दिन	भुगतान की
सं.			साईट पर		संख्या	की दर	गयी राशि
			वाहन				
1	जेएच01एबी8886	मारुती	मोटर साइकिल	24.03.20 से	80	1,360	1,08,800
		डिजायर		11.06.20			
2	जेएच05एच2200	क्वालिस	मोटर साइकिल	01.08.21 से	31	1,310	40,610
				31.08.21			
	कुल						

चूंकि, वाउचरों में दावा किए गए वाहनों के विनिर्देश सही नहीं थे, ₹ 1,85,290 (₹ 35,880 और ₹ 1,49,410) की राशि के सरकारी धन के संदिग्ध दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था। विभाग पूरे राज्य में समान मामलों की समीक्षा और कार्रवाई कर सकता है।

3.6.12 अन्य बिंद्

3.6.12.1 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रवाह संयंत्र के लिए पाइपलाइन तथा डीजी सेट की विलंब से स्थापना - ₹ 1.64 करोड

महामारी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड, रांची ने पूर्वी सिंहभूम जिले को ₹ 3.00 करोड़ (मई 2021) आवंटित किया।

जिला नजारत डिप्टी कलेक्टर (एन.डी.सी), पूर्वी जमशेदपुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कोविड-19 महामारी रोगियों के उपचार के लिए पी.एस.ए ऑक्सीजन संयंत्र के लिए डी.जी. सेट की स्थापना का कार्य और ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए पाइपलाइनों की स्थापना का कार्य पूर्वी सिंहभूम जिले के अस्पतालों के वार्डों में शुरू किया गया। पाइपलाइनों और ऑक्सीजन की आपूर्ति और डी.जी. सेटों की स्थापना के लिए आवंटित कार्य, कार्य सौपें जाने (मई 2021) के तीन दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। यह देखा गया कि ऑक्सीजन प्रवाह के लिए पाइपलाइन स्थापना और डी.जी. सेट की स्थापना का कार्य तीन महीने की देरी से हुआ और कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के बाद नवंबर 2021 में पूरा हुआ। स्थापना में देरी के कारण, कोविड-19 रोगियों को इच्छित लाभ प्रदान नहीं किया जा सका।

जिलों के चिकित्सालयों में पाइपलाइन एवं डी.जी.सेट लगाने का विवरण तालिका 3.34 में दिया गया है।

तालिका 3.34: पाईपलाइन और डी.जी. सेटों की स्थापना का विवरण

बिल न. और	अस्पताल का नाम	कार्य	एजेंसी का नाम	समाप्ति की	राशि	देरी	
तिथि				तिथि		(दिन में)	
271/21-22	सीएचसी मुसाबनी	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	23.10.21	23,95,790	47 से 51	
24.11.21	सीएचसी चाकुलिया	ऑक्सीजन		01.11.21			
	सीएचसी धालभूमगढ़	पाइपलाइन		27.10.21			
285/21-22	सीएचसी बहरागोड़ा	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	27.10.21	36,91,940	18 से 51	
	सीएचसी पटमदा	ऑक्सीजन		23.10.21			
	सीएचसी जुगसलाई	पाइपलाइन		24.09.21			
308/21-22	सीएचसी चाकुलिया	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	26.11.21	11,21,000	-	
08.12.21							
185/21-22	सीएचसी घाटशिला	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	24.08.21	43,98,080	10	
09.09.21	एसएच जमशेदपुर		कमल इंटरप्राइजेज	17.08.21			
	सीएचसी घाटशिला	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	23.08.21			
		ऑक्सीजन					
		पाइपलाइन					
409/21-22	एसएच जमशेदपुर	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	20.01.21	5,15,000	-	
02.02.22							
519/21-22	एसएच जमशेदपुर	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	11.06.21	42,79,340	72	
12.03.22		ऑक्सीजन		30.08.21			
		पाइपलाइन		30.08.21			
	कुल योग						

अग्रतर, ऊपर दर्शाई गयी देरी की अविध के दौरान झारखण्ड में कोविड-19 महामारी की स्थिति तालिका 3.35 में दिया गया है।

तालिका 3.35: झारखण्ड में कोविड-19 महामारी की स्थिति

तिथि	कोविड मरीजों की	ठीक हुए मरीजों की	मृतकों की
	संख्या	संख्या	संख्या
05.05.2021	2,57,345	1,94,433	3,205
17.08.2021	3,47,620	3,42,253	5,131
24.09.2021	3,48,162	3,42,964	5,133
23.10.2021	3,48,562	3,43,244	5,135
26.11.2021	3,49,184	3,43,935	5,140

स्रोतः आरोग्य सेतु ऐप

कोविड-19 के अनियंत्रित प्रसार तथा उससे होने वाली मौतों की गंभीरता को देखते हुए उन सभी संयंत्रों को निर्धारित समय में तत्काल स्थापित किया जाना था। हालांकि, पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, पाइपलाइन, डीजी सेट आदि लगाने में देरी के कारण लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

3.6.12.2 निष्फल व्यय- ₹ 11.21 लाख

04.08.2022 को पूर्वी सिंहभूम जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं धालभूमगढ़ के सत्यापन में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकुलिया में ₹ 11.21 लाख की लागत से स्थापित डीजी सेट का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि नये स्थापित 500 एलएमपी ऑक्सीजन संयंत्र चालू नहीं था। ऑपरेटर द्वारा यह कहा गया था कि ऑक्सीजन संयंत्र का कभी उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार सीएचसी चाकुलिया के डीजी सेटों पर किया गया ₹ 11.21 लाख का व्यय निष्फल रहा।

आगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चाकुलिया में ऑक्सीजन पाइप लाइन लगाने का प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, इसके बजाय प्रखंड लेखा प्रबंधक (बीएएम), चाकुलिया (नवंबर 2021) द्वारा दिया गया, जो प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं था।

3.6.12.3 रोकड बही का गैर-रख-रखाव

जिला नजारत उप-समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में आपदा प्रबंधन के ₹ 1,10,56,000 की राशि के आवंटन एवं उप-आवंटन से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला आपूर्ति अधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निम्न उप-आवंटन (विवरण तालिका 3.36 में दिया गया है) किया गया था।

तालिका 3.36: डी.एस.ओ. पूर्वी सिंहभूम को उप-आवंटित राशि

क्र.सं.	कार्यालय	उप-आवंटित राशि		
		आवंटन आदेश संख्या	राशि (₹ में)	
1		971/रा. तिथि 24.04.2020	34,16,000	
2		1125/रा. तिथि 08.05.2020	14,70,000	
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम,	1252/रा. तिथि 02.06.2020	20,00,000	
4	जमशेदपुर	1856/रा. तिथि 25.07.2020	17,70,000	
5		2071/रा. तिथि 10.08.2020	19,20,000	
6		4303/रा. तिथि 04.11.2020	4,80,000	
	1,10,56,000			

उपरोक्त वर्णित उप-आवंदित राशि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा व्यय किया गया परन्तु राशि को ना तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया गया और ना ही व्यय के पक्ष में प्रविष्टियां की गयी।

इसी प्रकार उप-समाहर्ता, दुमका द्वारा नजारत उप समाहर्ता दुमका के कार्यालय को आपदा प्रबंधन निधि के आवंटन एवं उप-आवंटन राशि ₹ 96.00 लाख के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रविष्टियां ना ही रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष मे दर्ज किया गया और ना ही व्यय के पक्ष में की गयी थी। विवरण तालिका 3.37 में दिया गया है।

तालिका 3.37: उप-आवंटित राशि (एन.डी.सी, दुमका)

क्र. सं.	कार्यालय	उप-आवंटित राशि			
		आवंटन आदेश संख्या	राशि (₹ में)	उपलब्ध	
				उपयोगिता प्रमाण	
				पत्र	
1	जिला नजारत उप-समाहर्ता	53/जी.आ.प्र.को. दुमका /15.05.21	15,00,000	15,00,000	
2	का कार्यालय, दुमका	168/जी.आ.प्र.को. दुमका /14.12.21	81,00,000	52,61,195	
	7	96,00,000	67,61,195		

रोकड़ बही में लेन-देनों की प्रविष्टि न करना एक गंभीर अनियमितता थी तथा गबन/द्विनियोजन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.6.12.4 आवश्यकता के बावजूद निधि का अभ्यर्पण: ₹ 3.26 करोड़

जिला नजारत, उप-समाहर्ता (एन.डी.सी) के कार्यालय, रांची के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2021-22 के दौरान, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची ने प्राकृतिक आपदा (कोविड-19) से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा के लिए ₹ 7,92,50,000 (दिसम्बर 2021) आवंटित किया गया। यह देखा गया कि 1,607 मृतक व्यक्तियों में से 343 के निकटतम परिजनों को ₹ 4,66,50,000 का मुआवजा दिया गया था और शेष ₹ 3,26,00,000 विभाग द्वारा मार्च 2022 में वापस कर दिए गए थे।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान न किया जाना विभाग द्वारा समय पर निधियों के उपयोग में असमर्थता दर्शाता है।

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) की कुल बचत अनुचित बजट अनुमान का सूचक थी। इसके अलावा, इन अनुदानों में पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कम से कम ₹ 8,138.75 करोड़ की सतत कुल बचत हुई थी।

वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक के अनुदान/विनियोग से अधिक राशि के ₹ 3,473.63 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) और एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 288.86 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

3.8 अनुशंसाएँ

- सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि से अधिक न हो। इसके अलावा, पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- ग्रामीण विकास विभाग और गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग को बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि बचत कम हो, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जा सके और प्रत्याशित बचत की पहचान हो सके और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित किया जा सके।